

वर्ष
अंक
में जारी

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

2

16/4/25

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान्
पीतरीन इन्डियन महोदय, जवाकाश... में..... है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/4/25 को पेश हो।

16/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प.स.
6, 7 को पत्रावली जवाकाश इन के बाइ भी जवाक पेश
नहीं करे। जवाक जवाक जवाक जवाक जवाक जवाक
(ले 5 को उपस्थित उनको रफ रफ कर जवाक
लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं करे।
प.स.। ले 5 के बिन्दु पर जवाक कार्यवाही की
गई। ~~जवाक~~ सुनी गई। पत्रावली
वाले कोदेश दिनांक 20.6.25 को पेश हो।

[Signature]
04/6/25

20/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित।
पत्रावली वाले कोदेश जवाक दि. 20/6/25
को पेश हो।

[Signature]
20/6/25

30/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीना उपस्थित। वकील
प्रार्थना से परिप्रेक्ष्य से पत्रावली का अवलोकन
शिया गया। प्रार्थना से ~~पत्रावली~~ खलीसगार की
बाइपक्ष आवाजी रखा 60 9 मित 2 रफ 1.138



तारीख
हुवम

हुवम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नाम
अहमद
हुवम
पं

होए शूम प्रॉपर्टी क्रम 1 व 2 का प्रॉपर्टी क्रम 1 व 2 का
 का लहरवारी से दल है, जिसमें प्रॉपर्टी क्रम
 1 व 2 का हिस्सा $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{3}$ दल है। इसी प्रकार
 खाना 13 जिना 2 रकवा 0.9611 होए शूम प्रॉपर्टी
 एवं प्रॉपर्टी क्रम 1 व 2 की लहरवारी से दल है
 जिसमें प्रॉपर्टी का हिस्सा $\frac{1}{5}$ - $\frac{1}{5}$ दल रिकार्ड है।
 प्रॉपर्टी ने लहरवारी वफान किया है कि नसबत
 प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी व प्रॉपर्टी 1 व 2 की अवशान्त
 समुक्त लहरवारी की भावनी है जिसका निकल मुक्त
 बरसों नहीं होजे या भी प्रॉपर्टी के हिस्से पर
 भी खतरा खण्ड पर काम है और
 प्रॉपर्टी की शूम आ खुद खुद कानों की धमकी
 दे रहे हैं जिससे प्रॉपर्टी को सुरक्षा की
 कानि होनी। अतः प्रॉपर्टी को परिले अस्थाई
 निषेधाज्ञा टाकेंड किया जावे कि वे प्रॉपर्टी के
 हिस्से की शूम को खुद खुद नहीं करे और न
 ही खतरा खण्ड मात्र करे।

प्रॉपर्टी के अवशान्त व बहल प्रॉपर्टी के
 भावा प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी प्ल 212 RT Act में
 आंशिक रूप से लीजा किया जाता है। प्रॉपर्टी
 को नसबत मुक्त इस भावा कि अस्थाई निषेधाज्ञा
 से पावंड किया जाता है कि वे काम खलीमत
 की वास्तु भावनी खाता 10 व 13 के विधि
 बतारा होजे तक ना ही प्रॉपर्टी के हिस्से पर
 काम करे और ना ही खुद-खुद करे। प्रॉपर्टी
 प्रॉपर्टी को नसबत से काम खलीमत
 के साथ लेंगे ही।



उपखण्ड अधिकारी
 पिकव, जिला अहमद (राज)